संख्या-1156/22-2-2014-17(226)/2006

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के सिद्धदोष बन्दी सत्य प्रकाश राय पुत्र श्री गिरजा शंकर राय, निवासी जनपद-वाराणसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22530/पर-2(एम0 06-08-2014) दिनांक-12-08-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सत्य प्रकाश राय पुत्र श्री गिरजा शंकर राय, ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर वर्तमान पता- फुलवरियां, नई बस्ती, मानिक नगर कालोनी, थाना-कैन्ट, जनपद-वाराणसी का निवासी है। ग्राम प्रधान की चुनावी रंजिश में दिनांक 22/23-03-1984 की रात्रि हुयी हत्या एवं अभियुक्तगण की जमानत हो जाने से नाराज होकर बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07/08-05-1984 को मध्य रात्रि में चिरंजीवी राय के घर पर हमला कर बन्दूक, कट्टा एवं बल्लम से मारकर मेवाप्रसाद, मनोज कुमार, श्रीमती रामकली, मनभवती, आत्माराय, अक्षैवर, संजय, श्रीमती मनराजी, श्रीमती दुलारी, श्रीमती बासमती, श्रीमती धनदेवी आदि कुल 11 लोगों का नरसंहार किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-203/1984 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307 व 302 के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 27-02-1996 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09-05-2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01-08-2013 तक 28 वर्ष 10 माह 02 दिन की अपरिहार तथा 34 वर्ष 07 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भविष्य में अपराध करने का अवसर है, आदि के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बन्दी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा बन्दी

http://shasanadesh.up.nic.in

की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्य प्रकाश राय पुत्र श्री गिरजा शंकर राय को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्य प्रकाश राय (बन्दी संख्या-38491) पुत्र श्री गिरजा शंकर राय, निवासी ग्राम-लखमीपुर, थाना-जलालपुर, जनपद-जौनपुर वर्तमान पता- फुलवरियां, नई बस्ती, मानिक नगर कालोनी, थाना-कैन्ट, जनपद-वाराणसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-1156/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

क1